रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

**PART II—Section 3—Sub-section (i)**

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 96] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 30, 1972/चैत्र 10, 1894

**No. 96] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 30, 1972/CHAITRA 10, 1894**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**

## MINISTRY OF AGRICULTURE

**(Department of Agriculture)**

NOTIFICATION

*New Delhi, the 17th March, 1972*

G.S.R. 215(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Fertiliser (Control) Order, 1957, namely:—

1. This order may be called the Fertiliser (Control) First Amendment Order, 1972.

2. In sub-clause (4) of clause 9 of the Fertiliser (Control) Order, 1957, (hereinafter referred to as the said order), the word "year" occurring after the words "next following" shall be omitted.

3. In paragraph (c) of sub-clause (I) of clause 20 of the said Order, for the word "suspects", the words "has reason to believe" shall be substituted.

4. In sub-clause (2) of clause 22 of the said Order for the word "clause", the word "sub-clause" shall be substituted.

5. In Schedule I to the said Order, after serial number 30 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

| *Name of the Fertiliser* | *Specifications* |
|---|---|
| "31-Urea Ammonium Phosphate (20-20-0) | (i) Moisture per cent. by weight, maximum ......... 1.0. |
| | (ii) Total Nitrogen per cent. by weight, minimum................ 20.0. |

(iii) Ammoniacal Nitrogen per cent. by weight, minimum 6.4.

(iv) Neutral ammonium citrate soluble phosphate ($P_2O_5$) per cent. by weight minimum 20.0.

(v) Water soluble Phosphate (as $P_2O_5$) per cent. by weight minimum .. ........... 18.0.

(vi) Particle size: The particle size of the material shall be such that 90 per cent. of the material shall pass through 3 35 mm IS Sieve and be retained on 1.18 mm. Sieve.

NOTE.—This product contains filler material (inert Soil) to the extent of 30 per cent by weight.".

[No. 10-21/71-MPR-STU.]

S. M. H. BURNEY,

Jt. Secy., (Deptt. of Agriculture) and Controlling Fertilisers.

## कृषि मन्त्रालय

### (कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1972

### अधिसूचना

सा० का० नि० 215(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश का नाम उर्वरक (नियंत्रण) प्रथम संशोधन आदेश, 1972 होगा ।

2. उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के खंड 9 के उपखंड (4) में, "ठीक आगामी" शब्दों के पश्चात् आने वाला "वर्ष" शब्द लुप्त कर दिया जाएगा ।

3. उक्त आदेश के खंड 20 के उपखंड (1) के पैरा (ग) में, "संदेह होना" शब्दों के स्थान पर "विश्वास करने का कारण है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

4. उक्त आदेश के खंड 22 के उपखंड (2) में, "खंड" शब्द के स्थान पर "उपखंड" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

5. उक्त आदेश की अनुसूची 1 में, क्रम सं० 30 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

| उर्वरक का नाम | विनिर्देश | |
|---|---|---|
| "31. यूरिया एमोनियम | (1) अधिकतम नमी प्रतिशत, वजन के अनुसार | 1.0 |
| फासफेट | (2) न्यूनतम कुल नाइट्रोजन प्रतिशत, वजन के अनुसार | 20.0 |
| (24-20-0) | (3) न्यूनतम एमोनियम नाइट्रोजन प्रतिशत, वजन के अनुसार . . . . | 6.4 |

| | |
|---|---|
| (4) न्यूनतम उदासीन एमोनिया सिट्रेट विलेयफास्फेट ($पी_2ओ_5$) प्रतिशत, वजन के अनुसार . | 20.0 |
| (5) न्यूनतम जल विलेय फास्फेट ($पी_2ओ_5$ के रूप में) प्रतिशत, वजन के अनुसार . . | 18.0 |
| (6) कण साइज : द्रव्य का कण साइज ऐसा होगा कि 90 प्रतिशत द्रव्य 3.35 मि० मी० भा० मा० चालनी में से निकल जाए और 1.18 मि० मी० चालनी में रुक जाए। . . . | |

टिप्पण : इस उत्पाद में पूरक द्रव्य (अक्रिय मृदा) वजन के अनुसार 30% के परिमाण तक अन्तर्विष्ट है।

[सं 10-21/71-एम०ग०आर०-एम०टी०यू०]

सै० म० हु० बर्नी,

संयुक्त सचिव (कृषि विभाग) एवं उर्वरक नियंत्रक।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972